न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नामः रणजीत कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 225/2024

रामदयाल पुत्र श्री हरी सिह जाति जाट आयु 68 वर्ष निवासी 21 एम0एल0 तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— वादी

बनाम

1– राजेन्द्र कुमार पुत्र सरजीत सिंह, जाति जाट, निंवासी 21 एम0एल0 तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2– देना बैक शाखा श्रीगंगानगर।
3– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग, शुभम पचार — अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 — एकपक्षीय कार्यवाही
3. राजपैरोकार

निर्णय

दिनांक :– 16.04.2025

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनो के साथ प्रस्तुत किया कि वादी के नाम चक 21 एम0एल0, पटवार हल्का लाधुवाला, भू0अभि0नि0क्षेत्र गणेशगढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/53 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 1/1, 10/2, 11/1 प्रत्येक में 0.0130 हैक्टेयर, किला नं0 20/2 व 21/1 प्रत्येक में 0.0120 हैक्टेयर कुल 0.063 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं0 5, 6, 15, 16, प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर, किला न0 25 मे 0.228 है0 कुल 1.240 हैक्टेयर नहरी कुल दोनो मुरब्बाजात 1.303 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, तथा इसी चक के खाता संख्या 97/6 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 1/2 में 0.240 हैक्टेयर, किला नं0 2 ता 9 प्रत्येक सालम, किला नं0 10/1 व 11/2 प्रत्येक में 0.240 हैक्टेयर, किला नं0 12 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं0 20/1 मे 0.240 हैक्टेयर, किला नं0 21/2 मे 0.215 हैक्टेयर, किला नं0 22 मे 0.228 हैक्टेयर, किला नं0 23/1 मे 0.0960 हैक्टेयर नहरी कुल 5.5470 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी के पुत्र सुरेश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 21 एम0एल0, पटवार हल्का लाधुवाला, भू0अभि0नि0क्षेत्र गणेशगढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/56 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नं0 1 में 0.228 हैक्टेयर, किला नं0 2/1 मे 0.0890 हैक्टेयर कुल 0.3170 हैक्टेयर नहरी, मुरब्बा नम्बर 31 के किला नं0 1/1 में 0.0060 हैक्टेयर नहरी, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नं0 1 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 6.3250 हैक्टेयर इस प्रकार कुल समस्त मुरब्बाजात 6.6480 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। चक 21 एम0एल0 मे उपरोक्त वर्णित वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 1, 10, 11,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

20, 21 के पश्चिम दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे से मुरब्बा नम्बर 36 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 किसी कृषि भूमि है। वादी व वादी के पुत्र सुरेश द्वारा मुरब्बा नं0 37 व 36 के मध्य लाईट के पोल पैमाइश उपरान्त लगवाये हुये है। वादी का पुत्र फौज मे कार्यरत होने व बाहर निवासरत होने के कारण वादी के पुत्र सुरेश कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि कि सार सम्भाल वादी द्वारा ही कि जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 अवैध तरीके से वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि मुरब्बा नं0 37 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में प्रवेश कर मुरब्बा नं0 37 व 36 के मध्य लगे लाईट के पोल को तोडा जाकर वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि को अपनी कृषी भूमि बताकर जबरन एवं बलपूर्वक प्रवेश कर तारबन्दी कर कब्जा करने की कोशिश मे है, जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने से रोका गया और कहा गया कि आप अपनी कृषि भूमि का सीमांकन कर अपनी कृषि भूमि पर ही काश्त करे व तारबंदी करें, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कहा गया कि हमने कोई सीमांकन नहीं करना है और हमारी जहां इच्छा होगी, हम वहीं पर काश्त करेंगे व तारबंदी करेंगे। इस सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 को रिश्तेदारों एवं गॉव के सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा भी समझाया गया कि वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें और ना ही अवैध तरीके से कब्जा करने कि कोशिश करे व तारबंदी वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि में ना करें, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त बात मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया गया, यही विवाद दावा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि पर जबरन एवं बलपूर्वक कब्जा करने के उद्देश्य से आज से दो तीन रोज पूर्व ऐलानिया धमकी दी गई कि वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि पर कब्जा कर लाईट के पोलो को तोड कर तारबंदी करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने इस मकसद में कामयाब हो गया, तो वादी व वादी के पुत्र सुरेश को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसकी किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए ताफैसला दावा प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं जरूरी है ताकि प्रतिवादीगण, वादी के कृषि भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत एवं बेजा करने से बाज व ममनू रहें एवं वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि में जबरन एवं बलपूर्वक स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से प्रवेश ना करें। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाये :– (क) कि प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ शाश्वत व्यादेश जारी किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1, वादी व वादी के पुत्र सुरेश की वादाधीन कृषि भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत एवं बेजा करने से बाज व ममनू रहें एवं वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि में जबरन एवं बलपूर्वक स्वयं एवं अन्य किसी की सहायता से प्रवेश ना करें। (ख) कि तहसीलदार महोदय (राजस्व), श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जावे कि वादी व वादी के पुत्र सुरेश एंव प्रतिवादी संख्या 1 की वादाधीन कृषि भूमि कि पैमाईश कर निशानदेही करे। (ग) कि अन्य कोई आज्ञा, आदेश व अनुतोष जो वादी के पक्ष में हो प्रदान किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की सम्मन प्रति मय डाक रसीद व ट्रेकिंग रिपोर्ट वादी द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रतिवादीगण 1 व 2 इतला के बाद भी उपस्थित नहीं आये, आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं आये व ना ही इनकी ओर से कोई अधिवक्ता असालतन, वकालतन उपस्थित आया। प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। राज्य पक्ष की ओर से राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य मे अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी, वादी के पुत्र सुरेश एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 21 एम0एल0 तहसील व जिला श्रीगंगानगर मे कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व वादी के पुत्र सुरेश कि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 मे दर्ज कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 कि मुरब्बा नम्बर 36 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 कि चिपती कृषि भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, शपथ पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की कृषि भूमि में प्रवेश कर मुरब्बा नं0 37 व 36 के मध्य लगे लाईट के पोल को तौडा जाकर वादी व वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि को अपनी कृषी भूमि बताकर जबरन एवं बलपूर्वक प्रवेश कर तारबन्दी कर कब्जा करने की कोशिश कर दखलंदाजी की जा रही है तथा जबरन एवं बलपूर्वक कब्जा करने के उद्देश्य से ऐलानिया धमकी दी गई। वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तूत कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के खिलाफ शाश्वत व्यादेश जारी किये जाने का अनुतोष अधियाचित किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 188 के अनुसार कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार के अधिकार या उपभोग में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण किए जाने की धमकी दी जाती है, तो वह स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए वाद दायर कर सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सलंग्न दस्तावेज व साक्ष्य मे प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी एवं वादी के पुत्र सुरेश की कृषि भूमि में अवैध रूप से आक्रमण करने का प्रयास किया गया है। इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरुध शाश्वत व्यादेश इस अमर का जारी कि जाती है कि वादी की कृषि भूमि चक 21 एन0एल0, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/53 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 1/1, 10/2, 11/1 प्रत्येक में 0.0130 हैक्टेयर, किला नं0 20/2 व 21/1 प्रत्येक में 0.0120 हैक्टेयर कुल 0.063 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं0 5, 6, 15, 16, प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर, किला न0 25 मे 0.228 है0 कुल 1.240 हैक्टेयर नहरी कुल दोनो मुरब्बाजात 1.303 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा वादी के पुत्र सुरेश के नाम इसी चक के खाता संख्या 97/6 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 1/2 में 0.240 हैक्टेयर, किला नं0 2 ता 9 प्रत्येक सालम, किला नं0 10/1 व 11/2 प्रत्येक में 0.240 हैक्टेयर, किला नं0 12 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं0 20/1 मे 0.240 हैक्टेयर, किला नं0 21/2 मे 0.215 हैक्टेयर, किला नं0 22 मे 0.228 हैक्टेयर, किला नं0 23/1 मे 0.0960 हैक्टेयर नहरी कुल 5.5470 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी प्रकार से स्वयं व अन्य किसी कि सहायता से मदाखलत व बेजा करने से बाज व ममनू रहे। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देश दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो, तो वादी, वादी के पुत्र सुरेश और प्रतिवादी संख्या 1 की वादाधीन कृषि भूमि का सीमांकन एवं पैमाइश करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रणजीत कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner